



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22007

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक अपील संख्या.- 481/2026

मोहम्मद आसिफ

..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

:- गुड़िया यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता, अंकुर कुमार

पांडे

न्यायालय संख्या. - 12

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री गुड़िया यादव, प्रतिवादी-संख्या.1-राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या.2-परिवादी की ओर से श्री अंकुर कुमार पांडे को सुना गया।

3. यह दांडिक अपील अपीलकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-क(2) के अंतर्गत, विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, अंबेडकरनगर द्वारा सत्र विचारण संख्या 371/2026 एवं वाद अपराध संख्या 849/2025 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2025 को अपास्त करने हेतु दायर की गई है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय-वस्तु के अनुसार, अपीलकर्ता पीड़िता को पिछले सात वर्षों से जानता था और वह पिछले दो वर्षों से उसके घर में उसके साथ सहमतिजन्य संबंधों में रह रही थी, जिसके कारण पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने उससे किसी भी प्रकार का संबंध रखने से इनकार कर दिया था। यह कहा गया है कि जब पीड़िता ने अपीलकर्ता पर विवाह के लिए दबाव डाला, तो उसे प्रताड़ना और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसके पश्चात वह वहां से भाग निकली।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों में झूठा फंसाया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के मात्र अवलोकन से ही अपीलकर्ता और कथित पीड़िता के बीच संबंधों की सहमतिजन्य प्रकृति स्पष्ट हो जाएगी। यह तर्क दिया गया है कि शुरुआत से ही गलत धारणा के आधार पर बनाए गए सहमतिजन्य संबंधों और विवाह के वादे के पश्चात के उल्लंघन के बीच काफी अंतर होता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 एवं धारा 90 के दायरे में नहीं आएगा। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 27.11.2025 से कारावास में निरुद्ध है, जबकि आरोप तय किए जा चुके हैं और पीड़िता के बयान पहले ही अभिलेखित किए जा चुके हैं। अतः यह दलील दी गई है कि विचारण अभी बिल्कुल प्रारंभिक चरण में ही है। साथ ही, यह भी तर्क दिया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयानों में काफी विरोधाभास भी है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इस तर्क के साथ अपील का विरोध किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप और पीड़िता के बयान स्पष्ट रूप से उन धाराओं की प्रयोज्यता के पहलुओं को दर्शाते हैं, जो परिवादी के विरुद्ध आरोपित की गई हैं। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर यह स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन एवं साक्ष्यों के अधीन, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में ऐसी किसी तिथि का उल्लेख नहीं है, जिस दिन कथित घटना घटित हुई बताई गई है। यह भी प्रतीत होता है कि लगाए गए आरोप लंबे समय तक दो वयस्कों के बीच सहमतिजन्य संबंधों की प्रकृति को दर्शाते हैं, जिसमें शुरुआत से ही विवाह के किसी झूठे वादे का कोई संकेत नहीं मिलता है। अपीलकर्ता 27.11.2025 से कारावास में है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है एवं विचारण अभी बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है। ये पहलू माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **समाधान सीताराम मनमोथे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य AIR ऑनलाइन 2025 S.C.1099** के मामले में दिए गए निर्णय के अंतर्गत भी आते प्रतीत होते हैं; जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति को विवाह का झूठा वादा करने के लिए उत्तरदायी ठहराने हेतु, शारीरिक संबंध सीधे तौर पर किए गए झूठे वादे से जुड़े होने चाहिए और वे किसी अन्य परिस्थिति या विचार से प्रभावित नहीं होने चाहिए। यह भी निर्धारित किया गया है कि लंबे समय तक बने रहे शारीरिक संबंधों के मामले में, केवल इसलिए कि संबंध विवाह में परिणत नहीं हो सके, दुष्कर्म के पहलू को भूतलक्षी रूप में लागू नहीं किया जा सकता है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश अपीलकर्ता की ओर से दी गई दलीलों का संज्ञान लिए बिना पारित किया गया है और इस प्रकार, निचली न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है। तदनुसार, अपील स्वीकृत की जाती है तथा आदेश दिनांक 12.12.2025 को अपास्त किया जाता है।

8. उपरोक्त मुकदमे के अपराध में संलिप्त अपीलकर्ता/आवेदक **मोहम्मद आसिफ** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध-पत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नवत शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया जाए, जो यहां न्याय हित में अधिरोपित की जा रही हैं:-

- (i) अपीलकर्ता/आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) अपीलकर्ता/आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।
- (iii) अपीलकर्ता/आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके, और न ही वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- (iv) अपीलकर्ता/आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, वह स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय को इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार आदेश पारित करने का अधिकार होगा।
- (v) अपीलकर्ता/आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(vi) यदि अपीलकर्ता/आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और अपीलकर्ता/आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 209) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

10. यदि कोई आवेदन लंबित है, तो उसे भी निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

मार्च 30, 2026

सुबोध/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।